

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा), पाली

क्रमांक: 3023

दिनांक: 29/10/2025

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/OREL/2082/PAL/0010725

प्रशासनिक स्वीकृति

तहसीलदार की अप्रशंभा सहित प्राप्त निम्न आकाशीय बिजली के प्रकरणों में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की पालना में एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन अनुभाग के पत्रांक 33-3/2020 000-1 दिनांक 10.10.2022 अर्थात् 2022-2026 में राज्य आपदा मोचन निधि (0000) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार आकाशीय बिजलीसे पीड़ितों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि के अनुसार आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	आवेदन संख्या	पीड़ित का पवरण	आपदा का क्षेत्र	आपदा की दिनांक	क्षति का प्रकार	क्षति का पवरण	देय सहायता राशि
1	00/0000/2025/115392	नाम: Terapिता का नाम: Lala Ramजिला: पाली	कालागडा नाना तह. बाली जिला पाली (राज.), कालागडा नाना तह. बाली जिला पाली (राज.), बाली, पंचायत समिति -बाली, ग्राम पंचायत -नाणा गाँव - श्रीमान्ना	21/08/2025	आकाशीय बिजली	0000 00000 000 0000000	40000
2	00/0000/2025/113363	नाम: Jor Singhपिता का नाम: Kheem Singhजिला: पाली	kothar, kothar, बाली, पंचायत समिति -बाली, ग्राम पंचायत -कोठार, गाँव - कोठार	06/09/2025	आकाशीय बिजली	नियमानुसार सहायता राशि हेतु आवेदन श्रीमान को प्रेषित है	75000
योग							115000

इस राशि का व्यय निम्न बजट मद से क्रिया जायेगा :- 2245-01-800-(03)-[02]-12

जिला कलेक्टर
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
पाली

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

प्रतिपक्ष निकायिकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. सभागीय आयुक्त.....
3. जिला कलेक्टर, पाली।
4. उपखंड अधिकारी
5. तहसीलदार
6. जिलासूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, पाली।
7. रोकड़पाल (सहायता शाखा) कार्यालय हाजा

प्रभारी अधिकारी
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
पाली

Signature valid

Digitally signed by Laxmi Narayan
Mantri

Date: 2025.10.31 17:35:16 IST

Reason: SelfAttested

Location:

